कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्या-550 /छब्बीस-18वन/2020-21 दिनांक23 /04/2021

सेवा में,

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग,
बागेश्वर

विषय **एस 0 सी0 एस 0 पी0 के अंतर्गत रवाईखाल से बुड़गड-थकलाड़-विल्लेख मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उपजिलाधिकारी, बागेश्वर के इस कार्यालय को सम्बोधित एंव आपको पृष्ठांकित पत्र संख्या- 329 /रा0 अ 0- भूमि प्रस्ताव /2020-21 दिनांक 12 अप्रैल, 2021, जिसके अंतर्गत एस 0 सी0 एस 0 पी0 के अंतर्गत रवाईखाल से बुड़गड-थकलाड़-विल्लेख मोटर मार्ग के निर्माण में कटी 6.953 है0 भूमि के बदले दुगुनी भूमि 13.906 है0 चयनित भूमि का सयुंक्त निरीक्षण करवाते हुए प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार प्रश्नगत मोटर मार्ग हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये उपयुक्त पाये जाने का उल्लेख किया गया है , का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

अत: प्राप्त प्रस्ताव मूल में मय नक्शा, खसरा,खतौनी, संयुक्त निरीक्षण आख्या सहित पत्र के साथ इस अनुरोध से प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया तदनुसार प्रश्नगत प्रस्ताव को नियमानुसार ऑनलाईन किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न- यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by YOGEND SINGH
Date:Thu Apr 22 17:55:53 IST 2021
Reason: Approved

(योगेन्द् सिंह),
प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी, बागेश्वर।

प्रतिलिपि:-

01;प्रभागीय वनाधिकारी,/नोडल अधिकारी, बागेश्वर को उपर्युक्तानुसार सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सेवा में प्रेषित।

02. उपजिलाधिकारी,बागेश्वर को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(योगेन्द् सिंह),
प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी, बागेश्वर।

AE/वरिष्ठ सहायक
30-04-2021
आदेश आ0
29/4

3360

(50)

कार्यालय उपजिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्या–328 / रा0अ0–भूमि प्रस्ताव / 2020–21 दिनांक 12 अप्रैल, 2021

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

न्यायालय जिलाधिकारी बागेश्वर
संख्या 3144 दिनांक 16.4.21

OC/FC

विषय– क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि का प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर के कार्यालय पत्र संख्या–555 / 2–ई0व0भू0 दिनांक 12.02.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत बागेश्वर से छतीना मोटर मार्ग का निर्माण के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। बागेश्वर से छतीना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए भूमि उपलब्धता के संबंध में तहसीलदार, बागेश्वर से आख्या / प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

तहसीलदार, बागेश्वर द्वारा उक्त मोटर मोटर मार्ग निर्माण के क्षतिपूरक वृक्षारोपरण हेतु ग्राम कुजेखत पटवारी क्षेत्र रवाईखाल तहसील व जिला बागेश्वर में दो गुनी भूमि 5.480 है0 का चिन्हिकरण कर प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। जो निम्नानुसार है:–

01. बागेश्वर से छतीना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि का हस्तान्तरण किये जाने हेतु ग्राम कुजेखत पटवारी क्षेत्र रवाईखाल तहसील बागेश्वर के गैर0ज0वि0ख0खा0संख्या–04 के पैमाइसी खेत संख्या–16 मध्ये क्षेत्रफल 0.500 है0, खेत संख्या–17 क्षेत्रफल 1.214 है0, खेत संख्या–19 रकवा 0.663 है0, खेत संख्या–33 क्षेत्रफल 0.438 है0, खेत संख्या–34 क्षेत्रफल 0.454 है0, खेत संख्या–35 रकवा 1.201 है0 व खेत संख्या–36 क्षेत्रफल 1.010 है0 कुल 07 खेत रकवा 5.480 है0 भूमि चिन्हित कर प्रस्तावित की गयी है। उक्त भूमि अभिलेखों में श्रेणी 9(3) क वन पंचायत के जंगल के नाम दर्ज है तथा राज्य सरकार के स्वामित्व में है।

02. प्रस्तावित भूमि में कोई मन्दिर, मस्जिद तथा अन्य धार्मिक स्थल मौजूद नहीं हैं।

03. प्रस्तावित भूमि में अनेक प्रकार के प्रजाति के वृक्ष मौजूद हैं।

04. प्रस्तावित भूमि को याचक विभाग निःशुल्क चाहता है।

05. भूमि का संयुक्त निरीक्षण पूर्व में याचक विभाग के साथ किया गया है। संयुक्त निरीक्षण में प्रस्तावित भूमि वृक्षारोपरण के उपयुक्त पायी गयी।

अतः उक्तानुसार तहसीलदार, बागेश्वर के माध्यम से प्राप्त भूमि प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,

उपजिलाधिकारी,
बागेश्वर।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर को कार्यालय पत्र संख्या–555 दिनांक 12.03.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी,
बागेश्वर।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 बागेश्वर के अन्तर्गत बुड़गड़–थकलाड़–विलेख मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव की प्रतिपूर्ति हेतु जिलाधिकारी बागेश्वर के पत्रांक 530/छब्बीस–18 वन/2020–21 दिनांक 23.04.2021 द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम–काण्डे, पटवारी क्षेत्र–काण्डे में वन पंचायत की दुगुनी 13.906 है0 भूमि उपलब्ध कराई गई है।

अतः उक्त प्रयोजनार्थ हेतु वन पंचायत भूमि वन प्रभाग बागेश्वर के पक्ष में करने हेतु ग्राम पंचायत की खुली बैठक दिनांक 02-09-21 में निर्णय लिया गया है, जिसमें किसी भी ग्रामीणों को कोई आपत्ति नही है।

प्रधान 2.09.021 वसन्तसिंह
प्रधान
ग्राम पंचायत काण्डे
वि0ख0 व -जिला–बागेश्वर

श्रीमती-आशा देवी कन्याल
ह0 सरपंच

मुहर
ग्राम पंचायत काण्डे वि0ख0 बागेश्वर
आशा देवी
सरपंच

वन पंचायत सदस्यों के हस्ताक्षर

1– तुलसी देवी कन्याल – तुलसी कन्याल
2– मदन सिंह रावत – मदन सिंह
3– आनन्दी देवी बिष्ट – आनन्दी देवी
4– जीतेन्द्र सिंह जनोटी – Jitender
5– किरन देवी बिष्ट – किरन देवी
6– प्रदीप सिंह कन्याल – प्रदीप सिंह
7. नीमा मेहरा – नीमा मेहरा
8. वीर सिंह गैड़ा बिष्ट – वीर सिंह

हस्तांतरित भूमि का विवरण

ग्राम → कांवें राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र - कांवें तहसील सिधौली - चौरासी

खेत नं०	रकबा	खाता सं०	खातेदार का नाम	प्रस्तावित भूमि का विवरण				विवरण
				खेत नं०	रकबा	खाता सं०	खातेदार का नाम	
480	5.125	84	श्री पयागपति जायसवाल	480	5.125	84	खातेदारी हेतु आवंटन	हेतु स्वीकृत, ग्राम कांवें में ग० नं० 480 बतौर खाता सं० 84 में श्री बेनीराम के पु० पु० जायसवाल के नाम दर्ज आख्यिवेध भूमि के खेत नं० 480, 3984 व 3985 मि० कुल रकबा 13.906 हे० भूमि को खातेदारी आवंटन हेतु प्रस्तावित किया गया प्रस्ताव भूमि में जाह्र 2 मैंगनीज प्रजाति के कुछ वृक्ष आ रहे तथा भूमि उबाऊ है।
3984	6.250	84	—— do ——	3984	6.250	84	—— do ——	
3985	7.650	84	—— do ——	3985 मि०	2.531	84	—— do ——	
03	19.025	—	—	03	13.906	—	—	

Raj Kant 19/3/24